

B.Ed. Fee

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक. प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पाठ

दिनांक 23 दिस, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2017-18 के लिए शुल्क

वैशाल्य काउन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार उचित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति पर राज्य के पैर-अनुदानित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2017-18 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है-

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विकिरण शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य नतिविकिरण*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 2 में वर्णित विकिरण-शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा-

क्र.सं.	विवरण	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A) कार्यालय खर्च					
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	वर्षिक मही *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	विजली-पानी	840	840	840	840
6.	परिष्ठा	300	300	300	300
7.	विकिरण	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

B.Ed. Fee

संविधान

(B) फीस का ब्यौता					
1	वेतनभूत	180	180	180	180
2	पुस्तकालय	540	540	540	540
3	कक्षा, अर्पित एवं संचाली	180	180	180	180
4	सांख्यिकीय प्रयोगशाला	180	180	180	180
5	शैक्षिक कार्यालय	360	360	360	360
6	कार्यशाला / कार्यानुभव	360	360	360	360
7	विकास शुल्क	180	180	180	180
8	आवधिक भव	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
	समाप्ति (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(* कार्यालय फीस को क्र. 1 व 2 पर वर्गीकृत कर का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में निर्णय प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देना होगा तथा इन्फोर्मेशन भाग्यकर्ता को एन.सी.टी.ई. से मांगता प्राप्त होना की स्थिति में ही लागू किया जाएगा।

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देना होगा। वर्ष 2016-17 में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी, जिन्होंने दिनांक 08.07.2016 को आदेश से अपरिमित शुल्क जमा करवाया है, उन्हें 2017-18/2018-19 के लिए दिनांक 08.07.2016 के आदेश से अनुसरण ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशल कमी मद की राशि को छोटकर, संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त बांध विद्यार्थी सुल्हा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी राशि शुल्क से देना होगी।

शुल्क को राशि जमा करने हेतु प्रवेश सभ्यत्वक व महाविद्यालय/संस्था राज्य सरकार व केंद्र सरकार को निर्देशानुसार असेट/विद्यार्थी को आवरणक रूप से वितरित विकल्प उपलब्ध करवाए।

sd/-

(श्री 0 नामु लाल गुप्ता)
संयुक्त अधिक, उच्च शिक्षा

अतिरिक्त सुपरवाइजर/अवकाश कार्यालय हेतु -

1. शिक्षा अधिक, आचारीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सरकार।
2. शिक्षा अधिक, प्रमुख सचिव, आचार्यिक भवन एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. शिक्षा अधिक, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. अकादमिक, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।
5. शिक्षा अधिक, सचिव, आचार्यिक शिक्षा, जयपुर।
6. शिक्षा अधिक, सचिव, आचार्यिक शिक्षा, जयपुर।
7. अधिक, आचार्यिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. अनुसंधान कोष, राजस्थान, जयपुर।
9. अनुसंधान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. अनुसंधान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. अनुसंधान, शिक्षा विकास एवं संशोधन विभाग, जयपुर।